झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16/04/2015

संख्या–16/विविध–04–01/2015 का० 3423 / प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में समय–समय पर गठित समितियों/प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाओं को राज्य में लागू करना सरकार की प्राथमिकता है। अन्य राज्यों में लोक प्रशासन के क्षेत्र में सफलता के दृष्टांतों (Best Practices) के रूप में परिचारित कतिपय विशिष्ट उपलब्धियों का अनुकरण एवं क्रियान्वयन भी सुशासन को बल प्रदान करेगा।

अतः यह अपेक्षित है कि राज्य में एक सशक्त प्रशासनिक सुधार क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण प्रणाली विकसित की जाय ताकि पूर्ववर्ती आयोग/समितियों की संगत अनुशंसाओं एवं अन्य राज्यों के उत्कृष्ट उदाहरणों का अनुप्रयोग जनहित में प्रशासनिक कुशलता को निखारने के उद्देश्य से किया जा सके। उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नवत् व्यवस्था की जाती है :–

1. श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, झारखण्ड, राँची को प्रशासनिक सुधार क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय नोडल संस्थान के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, झारखण्ड, राँची प्रशासनिक सुधार हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निदेशों/अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु एक इकाई का गठन करेंगे।

3. यह इकाई सम्बन्धित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के साथ बैठक कर ऐसी अनुशंसाओं एवं अन्य राज्यों के उत्कृष्ट उदाहरणों का अनुप्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में कार्य योजना तैयार करेगी।

4. महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, झारखण्ड, राँची द्वारा इन कार्य योजनाओं को सम्बन्धित प्रशासी विभाग एवं कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग को समय–समय पर उपलब्ध कराया जायेगा।

5. महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, झारखण्ड, राँची आवश्यकतानुसार सम्बन्धित क्षेत्र के विशेषज्ञों की सेवा कार्य योजना के निरूपण में ले सकेंगे।

6. विभिन्न विभागों के लिए इस प्रकार से गठित सुधारात्मक उपायों तथा उत्कृष्ट उदाहरणों के अनुप्रयोग की कार्य योजनाओं का वार्षिक प्रतिवेदन महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, झारखण्ड, राँची के द्वारा प्रतिवर्ष तैयार किया जायेगा तथा कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. सम्बन्धित प्रशासी विभाग ऐसे सुधारात्मक कार्य योजनाओं के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से आदेश प्राप्त कर नियमानुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे।

8. सक्षम स्तर से स्वीकृत कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, झारखण्ड, राँची अनुश्रवण करेंगे तथा उपलब्धियों की समीक्षा कर उत्कृष्ट उदाहरणों एवं प्रैक्टिस को अधोमुख (downcast) करेंगे।

9. यदि महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, झारखण्ड, राँची समीक्षोपरान्त यह पाते हैं कि कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है तो अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रस्ताव गठित कर कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

10. उपर्युक्त कार्यों के निष्पादन के क्रम में सभी प्रशासनिक व्यय मुख्य शीर्ष 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ–003–प्रशिक्षण–03 प्रशासनिक व्यय के इकाई कार्यालय व्यय एवं व्यवसायिक सेवाएँ से विकलनीय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

16/4/15

(एस0के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–**16 / विविध–04–01 / 2015** का० –3423 / राँची, दिनांक 16/04/15

प्रतिलिपि– सचिव, प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली / प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड / मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, राँची / राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची / सदस्य, राजस्व पर्षद्, झारखण्ड, राँची / महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची / विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची / झारखंड राज्य के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/4/15

सरकार के प्रधान सचिव।